



सत्यमेव जयते

Arjun
ARUN KAUSHAL
Stamp Vendar
Licence No-37
E-Stamping Acc-ID UP14157804
Tehsil Sadar Dist -AGRA

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP26335238444033U
Certificate Issued Date : 25-Jun-2022 12:52 PM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14157804/ AGRA SADAR/ UP-AGR
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1415780444471563134285U
Purchased by : DHARAM CHAND AND OTHERS
Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description : PROPERTY NO. 8/153C-1A, KHARSA NO. 370, AT LAWYERS COLONY MAUZA NAGLAPADI AGRA
Consideration Price (Rs.) :
First Party : DHARAM CHAND AND OTHERS
Second Party : KARUNA SINGH
Stamp Duty Paid By : DHARAM CHAND AND OTHERS
Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते



25/6/22
25062022

Please write or type below this line



Statutory Alert:

- The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
- The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

25-Jun-2022 12:52 PM 25-Jun-2022

DHARAM CHAND AND OTHERS DHARAM CHAND AND OTHERS DHARAM CHAND AND OTHERS DHARAM CHAND AND OTHERS DHARAM CHAND AND OTHERS

(विक्रय का अनुबन्ध पत्र)

- कीमत- 75,63,000/-रूपया मात्र।
- अवधि - आज से 4 माह तक
- स्टाम्प - 100/- रूपया
- जायदाद मौहूदा पर विक्रयपत्र के निष्पादन के समय क्रेता को भौतिक कब्जा व दखल प्राप्त होगा।
- अनुबन्धित जायदाद का विवरण - एक किता दो मंजिला जायदाद नम्बर 8/153सी-1ए खसरा संख्या 370 वाके लॉयर्स कोलोनी मोजा नगला पदी आगरा जिसकी भूमि का क्षेत्रफल 304*81 वर्गमीटर व भूतल पर निर्माण 155 वर्गमीटर व प्रथमतल पर निर्माण 43*89 वर्गमीटर है।

हम कि धर्मचन्द्र व जितेन्द्र सिंह पुत्रगण स्व० श्री गनेशी लाल व श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्व० राजेन्द्र कुमार व अमित कुमार व सुमित कुमार व रोहित कुमार पुत्रगण स्व० श्री राजेन्द्र कुमार निवासीगण 8/153सी-1ए लॉयर्स कोलोनी आगरा — विक्रेता प्रथमपक्ष
(व)

करुणा सिंह पुत्री स्व० श्री बाबू सिंह निवासी ई -5,8/153 लॉयर्स कोलोनी शहर आगरा — क्रेता द्वितीयपक्ष है।

विदित हो कि -

- 1- यह कि उक्त जायदाद प्रथमपक्ष की माँ व दादी व सास श्रीमती रूमाली देवी ने अपने स्वअर्जित धन से वजरिये बैनामा नविस्ता प्रभू दयाल मुवरिखा 01-09-1982 मुसदिका 01-09-1982 मुन्दर्जा वही संख्या 1 जिल्द 2809 सफा 382/384 नम्बर 5805 वदफतर उप निवन्धक प्रथम आगरा के खरीद की और कब्जा व दखल प्राप्त किया और मालिक व स्वामी बनी और उन्होंने अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा दिनांक 27-07-2018 व निवन्धन दिनांक 28-07-2018 मुन्दर्जा वही संख्या 3 जिल्द 656 सफा 289/304 नम्बर 428 वदफतर उप निवन्धक प्रथम आगरा राजेन्द्र कुमार व धर्म चन्द्र व जितेन्द्र सिंह के हक में किया जो उनके स्वर्गवास दिनांक 09-08-2018 को प्रभाव आया और उक्त तीनों उक्त जायदाद के मालिक व स्वामी बने। राजेन्द्र कुमार का भी स्वर्गवास दिनांक 06-05-2021 को हो गया। राजेन्द्र कुमार के स्वर्गवास के बाद उनकी पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी व तीन बच्चे अमित कुमार व सुमित कुमार व रोहित कुमार उक्त प्रथमपक्ष उक्त जायदाद में उनके हक व हिस्से के मालिक व स्वामी बने। इस प्रकार प्रथमपक्ष उक्त जायदाद के तन्हा मालिक व स्वामी चले आते है।
- 2- यह कि प्रथमपक्ष की उक्त जायदाद में अन्य कोई दावेदार या हिस्सेदार आदि किसी भी प्रकार का नहीं है कि जो प्रथमपक्ष को उक्त जायदाद को बेचने आदि से रोक सके तथा उक्त जायदाद आज तक प्रत्येक प्रकार के ऋण, बिक्रय, दान, जमानत, सौदे, दावे, आदि से पूर्णतः स्वच्छ एवं मुक्त एवं भारहीन है। उक्त जायदाद का कोई भाग नजूल या राजकीय आस्थान आदि का नहीं है और न कोई भाग अतिरिक्त भूमि घोषित हुआ है और न कोई प्रतिकर आदि प्रथमपक्ष ने प्राप्त किया है।
- 3- यह कि प्रथमपक्ष को उक्त जायदाद की बहुत आवश्यकता नहीं है और पुराना होने के कारण हम प्रथमपक्ष उसका रख रखाव करने में असमर्थ है लिहाजा हमने उक्त भवन व उससे संलग्न भूमि को विक्रय करने की चर्चा लोगो से किया। द्वितीयपक्ष ने अपनी इच्छा उक्त भवन व संलग्न भूमि को क्रय करने को जाहिर किया विक्रय की जा रह जायदाद की कीमत 75,63,000/- पिचहत्तर लाख तिरैसठ हजार रूपया लगाई द्वितीयपक्ष द्वारा दी जा रही कीमत माकूल एवं उचित है। लिहाजा हम प्रथम पक्षगण द्वितीयपक्ष के हक में उक्त भवन संख्या 8/153सी-1ए एवं उससे संलग्न भूमि को 75,63,000/- पिचहत्तर लाख तिरैसठ हजार रूपया कि आधे जिसके 37,81,500/-सैतीस लाख इक्यासी हजार पांच सौ रूपया होते है में वदस्त उक्त करुणा सिंह पुत्री स्व० श्री बाबू सिंह क्रेता द्वितीयपक्ष, से तय करते हुये हम पक्षगण स्वेच्छा तथा प्रसन्नतापूर्वक स्वस्थ चित्त मन बुद्धि इन्द्रिय के बिना बहकाये सिखाये दबाब नाजायज के खूब सोच समझकर इकरार करते और लिखे देते हैं कि-



08/11/2022

पुष्पा देवी

- 1- यह कि प्रथमपक्ष ने उक्त कीमत को रजिस्टर्ड बैनामा के समय लेना तय करार पाया है।
- 2- यह कि इस अनुबन्ध की आज से 4 माह तक निश्चित है और यह इस अनुबन्ध की विशेष शर्त है।
- 3- यह कि प्रथमपक्ष जायदाद मौहूदा का बैनामा वाजाक्ता गुड टायटिल से जायदाद मौहूदा को हर प्रकार से पाक व साफ करार देकर व विक्रीत जायदाद पर से अपना सामान व कब्जा व दखल हटाकर उस पर वाकई कब्जा व दखल द्वितीयपक्ष को देकर बहक द्वितीयपक्ष या तजवीजा नाम द्वितीयपक्ष, जैसा भी द्वितीयपक्ष चाहे तहरीर व तकमील करते हुये रजिस्टर्ड करेंगे और द्वितीयपक्ष करावेंगे।
- 4- यह कि प्रथमपक्ष जायदाद मौहूदा का बैनामा उक्त शर्तों के अनुसार सुनिश्चित अवधि में निष्पादित करेंगे और द्वितीयपक्ष करावेंगे।
- 5- यह कि यदि प्रथमपक्ष इस अनुबन्ध की शर्त का पालन न करें या आपत्ति करें या कोई उलंघन करें तो द्वितीयपक्ष को पूरा अधिकार होगा कि वह इस अनुबन्ध की शर्तों को सक्षम न्यायालय की शरण लेकर पूरा कराले और सक्षम न्यायालय के माध्यम से जबरिया बिकयपत्र निष्पादित व निबन्धित करालें और अपना कब्जा व दखल आवासीय जायदाद मौहूदा पर प्राप्त कर लें और अपना कुल खर्चा व नुकसान सूद सहित शेष कीमत के रूपया में मुजरा कर ले और इसमें प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 6- यह कि बैनामा दिनांक तक बकाया जलकर व ग्रहकर व बिजली बिल को अदा करने की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की है व रहेगी।
- 7- यह कि प्रथमपक्ष ने जायदाद मौहूदा के सम्बन्ध में किसी अन्य से कोई सौदा आदि नहीं किया है और न करेंगे और उक्त अवधि में द्वितीयपक्ष के अतिरिक्त किसी भी अन्य के कब्जे या स्तैमाल आदि में भी नहीं देंगे।
- 9- यह कि इस अनुबन्धपत्र की पावन्दी हर समय हम पक्षों व हमारे उत्तराधिकारियों व नामित व्यक्तियों पर आवश्यक रहेगी।

अतः यह बिकय का अनुबन्धपत्र हम पक्षों ने स्वेच्छा से नीचे लिखे गवाहों के समक्ष अपने अपने हस्ताक्षरों से निष्पादित कर दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। लेख दिनांक 25-06-2022 ई०।

पुपपा देवी
Kumar
Khatu

25/06/2022
ATTESTED
25-06-2022

Brij Kishore Adv.
Distt. Notary AGRA
Gazetted under Govt. of U.P.

श्री० श्री०
Shri V.P. Pandey
R/o. 207, A, Colonelganj
Prayagraj, U.P.

Saty a Singh
W/O/ Jitendra Singh
R/O 8/153 c Lawyers
colony Agra